सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
आश्विन 15, बुधवार, शाके 1942–अक्टूबर 7, 2020 *Asvina 15, Wednesday, Saka 1942–October 7, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

उद्योग (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 11, 2019

संख्या प.1(2)उद्योग/ग्रुप-2/2008 :-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 27) के अध्याय 5 (1) के अन्तर्गत उक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न आदेश प्रसारित किये जाते है:-

1. एमएसएमई सुविधा परिषद के गठन हेतु प्रस्तावित पद उद्योग विभाग की वर्तमान कैडर स्ट्रेन्थ से ही भरे जायेंगे।
2. एमएसएमई सुविधा परिषद में मनोनीत सदस्यों की सीटिंग फीस 1500/- रू प्रति बैठक हेतु मानदेय निर्धारित किया जाता है।
3. सुविधा परिषद के समक्ष प्राप्त होने वाले विलंबित भुगतान के रेफरेंस के लिए प्रति रेफरेंस निम्नानुसार फीस की वसूली आवेदनकर्ता उद्यम से की जायेगी:-

क्र.सं.	रेफरेंस में दावे की राशि	शुल्क प्रति रेफरेंस
1.	10 लाख रूपये तक का विलंबित (मूल+ब्याज) भुगतान दावा	550/- रू
2.	10 लाख से अधिक का विलंबित (मूल+ब्याज) भुगतान दावा	2000/- रू
3.	विलंबित भुगतान पर केवल ब्याज दावें के रेफरेंस (प्रति रेफरेंस)	5000/- रू

सुविधा परिषद में आवेदन शुल्क का गुणावगुण आधार पर निर्धारण प्रशासनिक विभाग के स्तर पर निर्धारण किया जा सकेगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक 101900032 दिनांक 31.01.2019 के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दुर्गा जोशी,
विशिष्ट शासन सचिव।

5976

Government Central Press, Jaipur.